इकाई 5 ग्रामीण महिलाओं की स्थिति

इकाई की रूपरेख

5.0 उद्देश्य

5.1 परिचय

5.2 'सामाजिक स्थिति' की अवधारणा

5.3 महिलाओं की सामाजिक स्थिति

5.4 ग्रामीण महिलाओं की स्थिति

- 5.4.1 सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति
- 5.4.2 आर्थिक स्थिति
- 5.4.3 राजनीतिक स्थिति

5.5 चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र

5.6 आइए संक्षेप में बताते हैं

5.7 मुख्य शब्द

5.8 सुझाए गए अध्ययन

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप कर पाएंगे:

- ग्रामीण महिलाओं की समग्र सामाजिक स्थिति को समझना;
- उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति की व्याख्या करें;
- उनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करें;
- उनकी राजनीतिक स्थिति को समझे;
- उनके सामने आने वाली समस्याओं की पहचान करना; और
- उनके विकास के लिए तरीके और साधन सुझाएं।

5.1 परिचय

पिछले ब्लॉक में आपने सामाजिक विकास को परिभाषित करने और समझाने के साथ–साथ सामाजिक नीति और सामाजिक सुरक्षा जैसे उपकरणों और ग्रामीण सामाजिक विकास की प्रकृति और दायरे के बारे में सीखा है, विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में। इससे पता चलता है कि ग्रामीण सामाजिक विकास प्रकृति में समावेशी है; यह सभी ग्रामीण लोगों, विशेष रूप से हाशिए के वर्गों को उनकी भलाई को बढ़ावा देने के लिए शामिल करके सामाजिक न्याय चाहता है। महिलाएं ऐतिहासिक रूप से दुनिया के लगभग सभी समाजों में हाशिए का वर्ग रही हैं। फिर भी, आधुनिक युग में विकसित और कई विकासशील देशों में महिलाओं का बहुत विकास देखा जा सकता है। 21 वीं सदी में भारत पिछले दो दशकों में विशेष रूप से विभिन्न मोर्चों पर सरकारों, महिला आंदोलनों और नागरिक समाज के निरंतर प्रयासों के संचयी और इंटरैक्टिव प्रभाव के परिणामस्वरूप 'महिलाओं का उत्थान' देख रहा है। इसलिए

महिलाओं के बीच एक सक्रिय जमीनी स्तर का नेतृत्व उभर रहा है, जिसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बदलने के लिए बहुत प्रभावी और उत्प्रेरेक एंजेट हो सकता है। इस 'उत्थान' के कम से कम दो सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं और न्याय के अधिकारों के उनके दावे से एक नकारात्मक संकेत भी उभर रहा है, अर्थात, स्थिति और सशक्तिकरण की समानता के लिए। पहला सकारात्मक संकेत यह है कि जनगणना 2011 में महिला साक्षरता में 1971 में 22% से 2011 में 64.63% तक परिवर्तन दर्ज किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत की महिलाएं एक 'महत्वपूर्ण द्रव्यमान' तक पहुंच गई हैं जो मानव ऊर्जा और सामाजिक परिवर्तन में उल्लेखनीय परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरा सकारात्मक संकेत 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के कार्यान्वयन के बाद उम्मीदवारों और मतदाताओं दोनों के रूप में पंचायत और नगरपालिका चुनावों में उनकी भागीदारी में है। सकारात्मक संकेतों का जातियों, समुदायों और धार्मिक समूहों से ऊपर उठकर समाज पर अपना व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, अल्पसंख्यक समुदायों और कुछ आदिवासी समूहों में महिलाओं ने न केवल खुद को संगठित किया है, बल्कि परिवार, समुदाय और राज्य के भीतर अपने कानूनी भागीदारी अधिकारों में सुधार के लिए अपने स्वयं के समुदायों के साथ–साथ राज्य के साथ संवाद भी शुरू किया है। देश के विभिन्न हिस्सों में ईसाई, मुस्लिम और आदिवासी महिलाओं के प्रयास दिशा की ओर इशारा करते हैं। नकारात्मक संकेत महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़ों से निकलता है जो बढ़ रहा है, भले ही आंकड़े महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को पूरी तरह से कैप्चर नहीं करते हैं। पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज में जब महिलाएं अपने अधिकारों का दावा करती हैं तो उन्हें प्रतिरोध और विरोध का सामना करना पड़ता है, जिससे हिंसा होती है।

आने वाले वर्षों में भारत में महिला सशक्तिकरण का चुनौतीपूर्ण कार्य यह है कि शिक्षा, विनियमन और जागरूकता की प्रक्रिया के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तनों को ओर अधिक उजागर करने और हिंसा की ताकतों का मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छा कैसे किया जाए। हालिया जनगणना के आंकड़ों ने जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। भारत में बदलते प्राकृतिक जनसंख्या पिरामिड के साथ लिंग–वार पिरामिड तेजी से भिन्न होते जा रहे हैं, जिससे गंभीर लिंग–आधारित असंतुलन और नुकसान पैदा हो रहे हैं। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में महिलाओं के रिवर्स रोजगार पिरामिड, सात वर्ष से कम आयु की जनसंख्या के लिंग–अनुपात में तेज गिरावट, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं, साक्षरता, आईएमआर और सीएमआर आदि में निरंतर लिंग अंतर तत्काल और ठोस ध्यान देने के मुद्दे रहे हैं। उनके विकास पर चर्चा करते समय उन्हें एक सामाजिक संदर्भ में रखना होगा और देखना होगा कि वे अतीत में एक समय में रहने वाली स्थितियों से कितनी दूर आ गए हैं। उनकी सामाजिक स्थितियों/स्थिति/विकास की तुलना समाज के भीतर या विभिन्न समाजों में ग्रामीण क्षेत्रों में की जा सकती है।

चूंकि विकास बहुआयामी है, इसलिए महिलाओं की स्थिति को उनके जीवन के विभिन्न आयामों में देखा जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अंतरिक्ष/समाज और समय में भिन्न–भिन्न होती है। इसे उनके जीवन के विभिन्न आयामों से खींचे गए प्रमुख संकेतकों की मदद से डिग्री/स्तर के संदर्भ में मापा जा सकता है। इस इकाई में हम जीवन के सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करेंगे। आइए पहले 'सामाजिक स्थिति' की अवधारणा को स्पष्ट करें।

5.2 'सामाजिक स्थिति' की अवधारणा

सामाजिक स्थिति' किसी की स्थिति या सामाजिक व्यवस्था में खड़े होने को संदर्भित करती है। यह अधिकार, विशेषाधिकारों, कर्तव्य, दायित्व, सीमाओं और प्रतिबंधों का एक सामाजिक संरचना में सौपा गया सेट है। एक समाज या समूह में मानदंड और मूल्य अपने सदस्यों की भूमिकाओं और संबंधों को नियंत्रित करते हैं और उनकी सामाजिक स्थिति निर्धारित करते हैं। सामाजिक स्थिति जो हमेशा एक संबंधपरक घटना है, एक सामाजिक सेटिंग व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंधों में मौजूद होती है (लिंटन 1964, मर्टन 1968, चौहान 1999)। इसके अलावा, यह एक समग्र अवधारणा है जो समाज में किसी की स्थिति को संदर्भित करती है, जिसमें उसकी सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति शामिल है। इसलिए, किसी के पास एक सामान्य/ समग्र 'सामाजिक स्थिति' होती है, जो जटिल संपूर्ण सामाजिक संबंधों या सामाजिक संरचना में स्थित होती है, और कई विशिष्ट स्थितियां भी होती हैं जैसे कि सामाजिक या सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति जो सामाजिक संरचना/प्रणाली के प्रमुख भागों या उप–प्रणालियों में स्थित हैं।

समग्र सामाजिक स्थिति को आम तौर पर 'सामाजिक स्थिति' कहा जाता है, लेकिन विशिष्ट स्थितियों का विश्लेषण करते समय एक ही शब्द 'सामाजिक स्थिति' का उपयोग एक विशिष्ट स्थिति को नामित करने के लिए किया जाता है, उनमें से एक, रिश्तों के गैर–आर्थिक और गैर–राजनीतिक आयाम, अर्थात, सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम में स्थित है। एक समूह/अनुभाग/वर्ग और व्यक्ति समग्र रूप से समाज में एक सामान्य/समग्र सामाजिक स्थिति के साथ–साथ सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों और उप–आयामों के आधार पर कई विशिष्ट स्थितियों में रहते हैं। वास्तव में, ये दो प्रकार परस्पर संबंधित और अविभाज्य हैं और वे जो प्रकट करते हैं वह केवल 'सामाजिक स्थिति' है, जिसे समग्र रूप से या आंशिक रूप से एक ही संदर्भ के दो स्तरों पर माना जाता है। चूंकि विशिष्ट स्थितियां एक समग्र/सामान्य सामाजिक स्थिति में एकत्रित होती हैं, इसलिए उत्तरार्द्ध को पूर्व का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। आइए अब हम महिलाओं की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए आगे बढ़ें।

5.3 महिलाओं की सामाजिक स्थिति

'महिलाओं की सामाजिक स्थिति' समाज में उनकी स्थिति को संदर्भित करती है, जिसे इसकी कुल संरचना के साथ–साथ इसके विभिन्न सामाजिक आयामों के माध्यम से माना जाता है। यह अनुष्ठान पदानुक्रम, आजीविका पहुंच और वित्तीय स्थिति, शैक्षिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल और राजनीतिक भागीदारी में उनके स्थान की ओर इशारा करता है। लोवी (2018) ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति निर्धारित करने वाले चार कारकों का उल्लेख किया हैः (i) समाज में महिलाओं का उपचार, (ii) महिलाओं की कानूनी स्थिति, (iii) सार्वजनिक गतिविधियों के अवसर महिलाओं के लिए उपलब्ध है और (iv) महिलाओं की श्रम भागीदारी के पैटर्न। इस समझ के आधार पर आइए हम सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर चर्चा करें। चूंकि किसी समाज/समूह के मानदंड और मूल्य जो अंतरिक्ष और समय में भिन्न होते हैं, सामाजिक स्थिति, सामान्य या विशिष्ट निर्धारित करते हैं, कोई भी समाजों/समूहों और संस्कृतियों के साथ–साथ समय अवधिक में सामाजिक स्थिति की भिन्नता देख सकता है। महिलाओं

की सामाजिक स्थिति ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भी भिन्न होती है। इसलिए, सामाजिक स्थिति में समूहों और समाजों के साथ–साथ एक ही समूह या समाज में समय अवधि के बीच तुलना शामिल है। इसे ग्रेडिंग द्वारा मापा जाता है, लेकिन सीधे मापने योग्य नहीं है और इसलिए, इसे मापने के लिए संकेतक के रूप में सामाजिक विशेषओं को इंगित किया जाता है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति के संकेतक मात्रा और गुण दोनों में पाए जाते हैं और इसलिए, मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित होते हैं; अर्थात, मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतक। मात्रात्मक संकेतकों में जन्म और मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भागीदारी की डिग्री और साक्षरता और शिक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े शामिल हैं। औसत दर्जे का होने के नाते वे कुछ व्यापक रुझान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, उनका अध्ययन गुणात्मक मूल्यांकन और उनकी सीमाओं की समझ के बिना कम सार्थक हो जाता है, खासकर महिलाओं के विकास जैसे क्षेत्र में उदाहरण के लिए, महिलाओं के बीच सामाजिक–आर्थिक मतभेद आवश्यक रूप से राष्ट्रीय और राज्य औसत जैसे मैक्रो डेटा में परिलक्षित नहीं होते हैं।

इसलिए, अलग–अलग डेटा महिलाओं की स्थिति के स्पष्ट संकेतक विकसित करने के लिए एक सम्मोहक आवश्यकता बन जाता है। इस प्रकार इन आंकड़ों को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैय अर्थात, सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति जो अन्योन्याश्रित हैं। अब, हम ग्रामीण महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

5.4 ग्रामीण महिलाओं की स्थिति

पिछले कुछ दशकों में लागू की गई विभिन्न विकास नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों ने महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में स्पष्ट सुधार लाया है, लेकिन उनकी अशिक्षा, अज्ञानता, भेदभाव और हिंसा की समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। उन्हें समझने के लिए आइए हम जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, साक्षरता और शिक्षा, कार्य और रोजगार, निर्णय लेने, राजनीतिक भागीदारी आदि के चयनित क्षेत्रों में उपलब्धियों का लेखा–जोखा लें। मात्रात्मक और गुणात्मक संकेतकों के उपयोग से हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को समझने में मदद मिलेगी। आइए हम उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति को जाने।

5.4.1 सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति

सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति, जिसे संकीर्ण/विशिष्ट अर्थों में सामाजिक स्थिति भी कहा जाता है, को मुख्य रूप से महिलाओं को दिए गए विभेदक उपचार और उनकी भूमिकाओं और स्थिति, स्वास्थ्य और शिक्षा को परिभाषित करने के प्रति समाज के दृष्टिकोण से संबंधित संकेतकों के माध्यम से मापा जाता है। आइए इन संकेतकों पर चर्चा करें।

i) ग्रामीण महिलाओं के लिए सामाजिक मानदंड और भूमिकाएं

जाति, समुदाय और वर्ग पर आधारित हमारी पारंपरिक सामाजिक संरचना में निहित असमानताएं विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। सामाजिक रूप से स्वीकृत अधिकार और महिलाओं की अपेक्षित भूमिकाएं और उनके व्यवहार को नियंत्रित करने वाले मानदंड और उनके

प्रति दूसरों की भूमिकाएं विभिन्न समूहों और क्षेत्रों के बीच भिन्न होती हैं। वे विकास के चरण और मोड और सामाजिक पदानुक्रम में समूह की स्थिति से निकटता से प्रभावित होते हैं। ये असमानताएं महिलाओं की स्थिति पर किए गए किसी भी व्यापक सामान्यीकरण को अवास्तविक बनाती हैं।

जन्म से लेकर मृत्यु तक महिलाओं के जीवन पर परंपराओं और धर्म का गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि, उनके प्रभाव का कोई समरूप पैटर्न नहीं देखा जाता है क्योंकि परंपराओं में जीवन के अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से आर्थिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन की मजबूरियों के तहत कई बदलाव और पुनर्निमार्ण हुई है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में, महिलाओं को सामुदायिक पूजा में कार्य करने से बाहर रखा गया है। तलाक, रखरखाव, हिरासत और विरासत से संबंधित कानून के मामलों में वे लगातार नुकसान में खड़े हैं। अपमानजनक सामाजिक प्रथाएं और अत्याचार जैसे बलात्कार, दहेज, दुल्हन जलाना आदि बड़े पैमाने पर महिलाओं को प्रभावित करते रहते हैं। वे राजनीतिक हिंसा का सबसे कमजोर लक्ष्य भी हैं, जिसे महिलाओं के बलात्कार और हत्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के जो उच्च मजदूरी, भूमि अधिकारों, चारे और ईंधन जैसे वनोपजों का उपयोग करने के अधिकारों के लिए संघर्ष में तेजी से भाग ले रहे हैं।

ii) हिंसा और असुरक्षा

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा आज दुनिया में मानवाधिकारों का सबसे व्यापक उल्लंघन है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दों के लिए दरवाजा खोलना एक बेहद अंधरेर कक्ष की दहलीज पर खड़ा होने जैसा है, जो सामूहिक पीड़ा से कांप रहा है, लेकिन विरोध की आवाजों के साथ एक बड़ बडाहट में वापस आ गया है। जहां एक असहनीय यथास्थिति के उद्देश्य से आक्रोश है, वहां इसके बजाय, इनकार और काफी हद तक 'जिस तरह से चीजें हैं' की निष्क्रिय स्वीकृति है। महिलाओं के खिलाफ पुरुष हिंसा एक विश्वव्यापी घटना है। यद्यपि हर महिला ने इसका अनुभव नहीं किया है, हिंसा का डर अधिकांश महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण कारक है। यह निर्धारित करता है कि वे क्या करते हैं, जब वे इसे करते हैं, वे इसे कहां करते हैं और किसके साथ करते हैं। हिंसा के डर से घर के बाहर और घर के अंदर की गतिविधियों में उनकी भागीदारी की कमी हो गई है। घर के भीतर, महिलाओं और लड़कियों को सजा के रूप में या सांस्कृतिक रूप से उचित हमलों के रूप में शारीरिक और यौन शोषण का शिकार होना पड़ सकता है। ये कार्य जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण और स्वयं की अपेक्षाओं को आकार देते हैं।

घर के बाहर असुरक्षा आज उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इस तथ्य के प्रति सचेत होने के नाते कि बाहरी अत्याचारों की तुलना में घर में अत्याचार सहनीय हैं, वे न केवल घर में अपनी हीनता को स्वीकार करते रहे, बल्कि इसे मीठा भी कहते रहे। हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं पर अत्याचार में खतरनाक वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस, 2015–16) के अनुसार, 29.5% महिलाओं ने 15 वर्ष की आयु से शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी, 2020) की रिपोर्ट है कि 2019 में भारत में प्रतिदिन औसतन 87 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे और 2018 के आंकड़ों की तुलना में 2019 में महिलाओं के खिलाफ

अपराध के तहत दर्ज मामलों में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड–19 ने लॉकडाउन अवधि के दौरान घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं के साथ लैंगिक समानता की खामियों को भी उजागर किया।

iii) **बाल विवाह**

बाल विवाह महिलाओं को अधीन रखता है। बाल विवाह निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 में युवा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और युवकों के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। हालांकि, कई ग्रामीण समुदायों में, अवैध बाल विवाह की प्रथा अभी भी आम है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में 10–14 वर्ष की आयु की लगभग आधी लड़कियों की शादी हो जाती है।

चूंकि महिलाओं पर शादी के बाद जल्द से जल्द गर्भधारण करके अपनी प्रजनन क्षमता साबित करने का दबाव होता है, इसलिए किशोर विवाह किशोर बच्चे पैदा करने का पर्याय हैय सभी जन्मों का लगभग 10–15 प्रतिशत उनकी किशोरावस्था में महिलाओं को होता है। बाल विवाह की अवैधता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मीडिया और सरकारी कार्यालयों के माध्यम से औपचारिक चेतावनी जारी करके बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, फिर भी इन उपायों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

iv) **दहेज प्रथा**

दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को अधीनस्थ रखा जाता है, यहां तक कि उनकी हत्या भी कर दी जाती है। भारत में, हर साल 7000 दहेज हत्याएं होती हैं (एनसीबी, 2017)। यह वास्तविकता है जब दहेज निषेध अधिनियम 1961 से लागू है; इन अधिनियम के तहत वस्तुतः कोई गिरफ्तारी नहीं हुई हैं। चूंकि दहेज देने वाले और स्वीकार करने वाले दोनों मौजूदा कानून के तहत दंडनीय हैं, इसलिए कोई भी शिकायत करने को तैयार नहीं है। दहेज हत्या के बाद ही शिकायत सार्वजनिक होती है। यह अनुमान लगाया गया है कि आज औसत दहेज राशि परिवार की वार्षिक आय के पांच गुना के बराबर है और शादी और दहेज की उच्च लागत गरीबों के ऋणग्रस्तता का एक प्रमुख कारण है।

v) **विरासत का अधिकार**

विरासत के लिए महिलाओं के अधिकार सीमित हैं और अक्सर उल्लंघन किए जाते हैं। 1950 के दशक के मध्य में, हिंदू पर्सनल लॉ, जो सभी हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनों पर लागू होते हैं, को सुधार किया गया था, बहुविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और महिलाओं को विरासत, गोद लेने और तलाक के अधिकार दिए गए थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुओं से काफी भिन्न हैं; वे बहुविवाह की अनुमति देते हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न कानून होने के बावजूद, पारंपरिक पितृसत्तात्मक रवैया अभी भी प्रबल है और घर में मजबूत और स्थायी है।

हिंदू कानून के तहत पैतृक संपत्ति में बेटों का स्वतंत्र हिस्सा होता है। हालांकि बेटियों का हिस्सा पिता को मिले हिस्से पर आधारित होता है। इसलिए, पिता पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा छोड़कर एक बेटी को प्रभावी ढंग से विस्थापित कर

सकता है, लेकिन बेटे का अपने आप में हिस्सा बना रहेगा। इसके अतिरिक्त, विवाहित बेटियों, यहां तक कि वैवाहिक उत्पीड़न का सामना करने वाली बेटियों के पास अपने पैतृक घर में कोई आवासीय अधिकार नहीं है।

यहां तक कि इन कमजोर कानूनों को भी पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया है। नतीजतन, वास्तव में महिलाओं की भूमि और संपत्ति तक बहुत कम पहुंच है– आय के प्रमुख स्त्रोंत और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा। कृषि जोतों के विखंडन को रोकने के बहाने, कई राज्यों ने विधवाओं और बेटियों को कृषि भूमि विरासत से बाहर कर दिया है।

vi) ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति

यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं। वहीं, महिलाओं की संख्या वास्तव में पुरुषों की तुलना में कम है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में प्रति 000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में कमी आई है। 1971 में यह आंकड़ा 930 था जो 1981 में बढ़कर 934 हो गया। 1991 में भारत में प्रति 000 पुरुषों पर 927 महिलाएं मौजूद थीं और 2001 में यह आंकड़ा थोड़ा सुधरकर 933 हो गया। 2011 में यह बढ़कर 943 हो गया। अनुमान है कि भविष्य में यह आंकड़ा मामूली रूप से बढ़ेगा और वर्ष 2021 तक प्रति '000 पुरुषों पर लगभग 948 महिलाएं होंगी।

आजादी के बाद की अवधि में ग्रामीण भारत में लिंगानुपात 1951 में 965 से घटकर 2011 में 946 हो गया है। महिलाओं और पुरुषों को अपने पूरे जीवन काल में कुछ अलग प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ता है। बच्चे पैदा करने के कारण महिलाओं को विशिष्ट और प्रमुख स्वास्थ्य जोखिमों से अवगत कराया जाता है। महिलाओं, बच्चों और पूरे परिवार की सामान्य भलाई के लिए अच्छी स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, जिससे महिलाओं को, विशेष रूप से, यह तय करने का अवसर मिलता है कि वे कब और कितने बच्चे चाहते हैं।

महिलाओं और बच्चों में, एनीमिया चिंता का कारण बना हुआ है। एनएफएचएस–5 की 2019–20 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में भारत में 68.4 फीसदी बच्चे और 66.4 फीसदी महिलाएं एनीमिक हैं। इसके अलावा, 180 दिनों या उससे अधिक समय तक गर्भवती महिलाओं द्वारा आईएफए गोलियाँ के खपत में लगातार वृद्धि के बावजूद भी एनएफएच एस –4 की तुलना में आधे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेंशों में गर्भवती महिलाओं मे एनीमिया बढ़ गया है। यदि इसका पता नहीं लग पाया और इसका इलाज नहीं किया गया तो इससे न केवल माताओं में रुग्णता बढ़ेगी, बल्कि कम जन्म दर और प्रसव पूर्व मृत्यु दर का खतरा भी बढ़ जाएगा। किशोर माताओं की खराब बाल–पालन पद्धतियों से शिशुओं में अन्यथा उच्च मृत्यु दर, रुग्णता और अल्पध्कुपोषण में वृद्धि होगी और इस प्रकार, अंतर–पीढ़ीगत चक्र में समस्याऐंब नी रहेगी।

पोषण में लैंगिक असमानताशवावस्था से वयस्कता तक स्पष्ट है। वास्तव में, छोटे बच्चों में लिंग कुपोषण का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक रहा है और कुपोषण पांच साल से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु का एक लगातार, प्रत्यक्ष या अंतर्निहित कारण है। बालिकाओं को शैशवकाल में कम बार और कम अवधि के लिए स्तनपान कराया जाता है जबकि बचपन और वयस्कता में पुरुषों को पहले और

बेहतर तरीके से खिलाया जाता है। पंजाब के एक अनुमान के अनुसार, वयस्क महिलाएं प्रति दिन लगभग 1,000 कैलोरी का उपभोग करती हैं, जो पुरुषों की तुलना में कम खपत करती हैं। भारत के विभिन्न भागों में घरेलू आहार सेवन की तुलना पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में पुरुषों और महिलाओं के बीच पोषण संबंधी समानता कम हैं।

पोषण की कमी के महिलाओं के लिए दो प्रमुख परिणाम हैं। सबसे पहले, वे कभी भी अपनी पूर्ण विकास क्षमता तक नहीं पहुंचते हैं। दूसरा, वे एनीमिया से ग्रस्त हैं। ये दोनों गर्भावस्था में जोखिम कारक हैं, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 40–50 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 50–70 प्रतिशत तक एनीमिया होता है। यह स्थिति बच्चे के जन्म को जटिल बनाती है और इसके परिणामस्वरूप मातृ और शिशु मृत्यु और जन्म के समय कम वजन वाले शिशु होते हैं।

वयस्कों के रूप में, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम स्वास्थ्य देखभाल मिलती है। वे यह स्वीकार करने की संभावना कम हैं कि वे बीमार हैं और वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि उनकी बीमारी बढ़ न जाए, इससे पहले कि वे मदद लें या उनके लिए मदद मांगी जाए। ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थिति पर अध्ययन से पता चलता है कि भारत के लगभग सभी हिस्सों में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों का इलाज किया जाता है, दक्षिणी लोगों की तुलना में उत्तरी अस्पतालों में अधिक अंतर के साथ, महिलाओं पर रखे गए मूल्य के क्षेत्रीय मतभेदों की ओर इशारा करते हैं। कष्टों को सहन करने के लिए महिलाओं का समाजीकरण और पुरुष कर्मियों द्वारा जांच किए जाने की उनकी अनिच्छा पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का लाभ उठाने में अतिरिक्त बाधाएं हैं।

भारत में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 1980 के 468 से घटकर 2016–18 में 113 रह गई है। मातृ मृत्यु दर इसी अवधि के दौरान प्रति 00000 (लाख) जीवित जन्मों पर एक निश्चित अवधि के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या है। मातृ मृत्यु दर की घटनाओं से मानव जीवन और सामाजिक कल्याण का भारी नुकसान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक है।

एक कारक जो भारत की मातृ मृत्यु दर में योगदान देता है, वह गर्भावस्था के लिए चिकित्सा देखभाल की तलाश करने में अनिच्छा है, जिसे एक अस्थायी स्थिति के रूप में देखा जाता है जो गायब हो जाएगा। स्वास्थ्य प्रदाताओं (एनएफएचएस –5) द्वारा अनुशंसित चार या अधिक एएनसी यात्राओं को प्राप्त करने वाली महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। यहां तक कि एक महिला जिसे पिछली गर्भावस्था के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, आमतौर पर केवल तीन कारणों से घरेलू उपचार के साथ इलाज किया जाता हैः पहला, एक गर्भवती महिला का मदद लेने का निर्णय उसकी सास और पति के साथ होता है। य दूसरा, वित्तीय विचार और, तीसरा, एक डर है कि उपचार बीमारी की तुलना में अधिक हानिकारक हो सकता है।

vii) शैक्षिक स्थिति

भारत में पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक शिक्षा में पुरुष और महिला नामांकन के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन पुरुष और महिला साक्षरता स्तरों के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर मौजूद है। 2011 में पुरुष साक्षरता दर 80. 9% थी, जबकि महिलाओं के लिए 64.6% थी। यहां तक कि जब स्कूल नामांकन

प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर और उससे ऊपर तक काफी कम हो जाता है, तो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए, लड़कियों कि कमी अधिक होती है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए काफी अधिक है। शिक्षा की लागत 6–17 वर्ष की आयु में लड़कियों के लिए कभी स्कूल नहीं जाने का एकमात्र सबसे बड़ा कारक बताया गया है।

महिला साक्षरता दर में परिलक्षित महिलाओं की शिक्षा में पिछले कुछ वर्षो से, 1981 में 29.76 प्रतिशत और 2001 में 54.16 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में यह 72. 98 प्रतिशत थी। इसके अलावा, 2011 में, महिला निरक्षरों की पूर्ण संख्या में कमी आई है और महिला और पुरुष निरक्षरों और ड्रॉप–आउट के बीच का अंतर भी कम होना शुरू हो गया है। हालांकि, कुछ राज्यों में शिक्षा में बहुत बड़ी अंतर–क्षेत्रीय विविधताएं हैं और उनके पास अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम महिला साक्षरता स्तर वाले कुछ जिले हैं। 2011 में केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 92.07 प्रतिशत दर्ज की गई थी, जबकि बिहार में सबसे कम 51.50 प्रतिशत दर्ज की गई थी। जनगणना 2011 (अनंतिम) के अनुसार, भारत में ग्रामीण महिला साक्षर 77.15 प्रतिशत थी। ग्रामीण पुरुष साक्षरों की तुलना में 57. 93 प्रतिशत। 2001 की तुलना में 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरों में वृद्धि का प्रतिशत ग्रामीण पुरुष साक्षरों (8 प्रतिशत) की तुलना में 24 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता की यह वृद्धि दर वास्तव में उत्साहजनक है।

भारत में स्कूली शिक्षा के लिए यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (यूडीआईएसई.) 2019–20 की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च प्राथमिक स्कूल स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 2019–20 में बढ़कर 89.7 प्रतिशत (87.7 प्रतिशत से) हो गयाय प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 97.8 प्रतिशत (96.1 प्रतिशत से); माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 77.9 प्रतिशत (76.9 प्रतिशत से) और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 51.4 प्रतिशत (50.1 प्रतिशत से) है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2019–20 में प्राइमरी से हायर सेकेंडरी स्कूल तक लड़कियों का नामांकन 12.08 करोड़ से ज्यादा है। यह 2018–19 की तुलना में 14.08 लाख की उल्लेखनीय वृद्धि है। 2012–13 और 2019–20 के बीच माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल दोनों स्तरों पर लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई) में सुधार हुआ है। लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात बढ़कर 2019–20 (2018–19 से) में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 90.5 प्रतिशत (88.5 प्रतिशत से), प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 98.7 प्रतिशत (96.7 प्रतिशत से), माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 77.8 प्रतिशत (माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 76.9 प्रतिशत से) और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 52.4 प्रतिशत (50.8 प्रतिशत से) हो गया है।

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2019–20 से पता चलता है कि भले ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में महिला छात्रों की हिस्सेदारी सबसे कम है, लेकिन 2015–16 से 2019–20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में कुल मिलाकर 18% से अधिक की वृद्धि हुई है।

शिक्षा में ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी भी विभिन्न स्तरों पर बढ़ी है, लेकिन शैक्षिक स्तर की प्रगति के साथ उनका लिंग अंतर भी बढ़ता जा रहा है और जब

तक सरकार द्वारा कुछ कठोर उपाय नहीं अपनाए जाते, तब तक इसे पाटना मुश्किल लगता है। मुझे आपकी प्रगति की जाँच करने दीजिए।

5.4.2 आर्थिक स्थिति

बैन एंड कंपनी और गूगल, वुमन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया–पावरिंग द इकोनॉमी विद हर की रिपोर्ट (2020) में बताया गया है कि वर्तमान में भारत में 432 मिलियन कामकाजी उम्र की महिलाएं हैं, जिनमें से 343 मिलियन (79.4 प्रतिशत) पेड फॉर्मल वर्क में नहीं हैं। आईएलओ के अनुमानों के अनुसार, भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी प्रभावशाली नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है।

भारतीय संस्कृति और परंपरा से विवश, ज्यादातर समय ग्रामीण महिलाएं घरेलू और कृषि गतिविधियों में लगी रहती हैं। यद्यपि आधे से अधिक कृषि कार्य भारत में महिलाओं द्वारा किए जाते हैं (विजया राज, 2016), पुरुषों को अभी भी परिवार में कमाने वाले के रूप में जाना जाता है। सदियों से पितृसत्तात्मक व्यवस्था और भारतीय समाज में लैंगिक रूढ़ियों ने जानबूझकर महिलाओं को धार्मिक और सामाजिक–सांस्कृतिक प्रथाओं में व्यस्त रखकर विकास के अवसरों से दूर रखा है। बेहतर विकास के अवसर प्राप्त करने में ग्रामीण महिलाओं के पिछड़ने का प्रमुख कारक ग्रामीण गरीबी है। ग्रामीण महिलाएं और लड़कियां ग्रामीण गरीबी के सबसे कमजोर समूह हैं।

2017–18 के लिए एनएसएसओ के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 55% पुरुष श्रमिकों की तुलना में 73.2% महिला श्रमिक कृषि क्षेत्र में लगी हुई हैं। जाहिर है, अधिकांश ग्रामीण महिलाएं खेती में कार्यरत हैं, मुख्य रूप से अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में। ये महिला श्रमिक खेती की गतिविधियों में खुद को संलग्न करके भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका काम न केवल अवैतनिक है, बल्कि गैर–मान्यता प्राप्त भी है। साथ ही, वे कई कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार हैंः वे खेतों पर काम करते हैं, घर के काम करते हैं और घर पर बच्चों और बूढ़ों की देखभाल करते हैं। इतने योगदान के बावजूद उनके पास कोई जमीन नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार, महिलाओं के पास परिचालन जोत का केवल 12.8% स्वामित्व है जो स्पष्ट रूप से कृषि में भूमि जोत के स्वामित्व में लैंगिक असमानता को दर्शाता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 2015–16 की कृषि जनगणना के अनुसार, महिला परिचालन धारकों का प्रतिशत हिस्सा 2010–11 में 12.79ः से बढ़कर 2015–16 में 13.96% हो गया है। 2015–16 में सीमांत किसानों की श्रेणी (72%) के तहत महिला परिचालन धारकों की भागीदारी सबसे अधिक थी, इसके बाद छोटे किसानों की श्रेणी (17%) और अर्ध–मध्यम किसान श्रेणी (8.1%) थी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सामाजिक समूहों से संबंधित महिला परिचालन धारकों की हिस्सेदारी क्रमशः 11.4% और 7.9% होने का अनुमान लगाया गया था।

महिलाओं की स्थिति तब बिगड़ जाती है जब ग्रामीण पुरुष बेहतर अवसरों के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं क्योंकि कृषि क्षेत्र में अधिकांश कार्य महिलाओं पर लदे हुए हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली द्वारा संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 से पता चलता है कि ग्रामीण से शहरी पलायन बढ़ रहा है पुरुषों के पलायन के कारण कई भूमिकाओं में जैसे कृषि क्षेत्र, अर्थात, कृषकों, उद्यमियों और श्रमिकों के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।

विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स सर्वे (2017) का अनुमान है कि 77% भारतीय महिलाओं के पास अब बैंक खाते हैं, जबकि 2014 और 2011 में क्रमशः 43ः और 26% थे। वित्तीय समावेशन के इस बुनियादी उपाय से, महिलाएं आज पहले से कहीं अधिक आर्थिक रूप से शामिल हैं। वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतर जो 2014 में 19.8 था, वह 2017 में घटकर 6.4 प्रतिशत अंक रह गया है। इसका कारण बढ़ते शहरीकरण और सरकार द्वारा तेजी से डिजिटलीकरण को दिया जाता है। यद्यपि भारत वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतर को कम करने में सफल रहा है, लेकिन फाइंडेक्स के आंकड़ों पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच रखने वाली आधी से अधिक महिलाओं के खाते निष्क्रिय हैं, अर्थात, महिलाएं वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं कर रही हैं। फाइंडेक्स डेटा इस तथ्य को प्रकट करता है कि महिलाएं औपचारिक क्रेडिट बाजारों तक पहुंच में और भी पीछे हैं। बैंक ऋण तक उनकी पहुंच और अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता 2014 और 2017 के बीच अपरिवर्तित रही।

कई कारक भारत में वित्त क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं में योगदान करते हैं। बेरोजगारी, मजदूरी, स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों और अवैतनिक देखभाल कार्य में बड़े और लगातार लिंग अंतराल पाए जाते हैंः महिला श्रम बल भागीदारी दर दुनिया में सबसे कम है; सुरक्षा चिंताएं और सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिबंध उनके सशक्तिकरण, सौदेबाजी और निर्णय लेने की ताकत को रोकते हैं; संपार्श्विक (भौतिक परिसंपत्तियों का शीर्षक या औपचारिक स्वामित्व) की कमी उनमें से कई को उच्च जोखिम वाले उधारकर्ता बनाती है और इस तरह के अंतर्निहित नुकसान उनमें से कई को बैंकों से संपर्क करने के लिए हतोत्साहित करते हैं, जो बदले में, अक्सर उनके आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। कुल मिलाकर, औपचारिक वित्तीय बाजारों में महिलाओं के व्यापक और गहरे समावेश के लिए कई आयामों में कमर कसने के लिए लैंगिक समावेशी वित्तीय नीतियों पर काम करने की तत्काल आवश्यकता है।

मैकिंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में + 770 बिलियन की वृद्धि के रूप में भारत में लैंगिक समानता प्राप्त करने के आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाया। हालांकि, जीडीपी में महिलाओं का वर्तमान योगदान 18% पर बना हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का भी अनुमान है कि कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी से भारत की जीडीपी में 27 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा, महिलाओं को सशक्त बनाने के सामाजिक लाभ हैंः महिलाएं अपनी आय का 90 प्रतिशत परिवारों पर खर्च करती हैं; आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं मांग को बढ़ावा देती हैं, स्वस्थ और बेहतर शिक्षित बच्चे रखती हैं और मानव विकास के स्तर को बढ़ाती हैं। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है जो वर्तमान योजनाओं और कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण तत्व है।

5.4.3 राजनीतिक स्थिति

भारत में 6,40,867 गांव हैं और इसकी 68.84 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीण महिलाओं में से 58.8 प्रतिशत साक्षर हैं (जनगणना, 2011)। कम शैक्षिक प्राप्ति राजनीतिक गतिविधियों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी को बाधित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के माध्यम से, दस लाख महिलाओं ने भारत में राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से प्रवेश किया है। 73वां संविधान संशोधन

अधिनियम सभी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए अपनी कुल सीटों का एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित करना अनिवार्य बनाता है, जबकि अब 20 राज्यों ने अपने संबंधित पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की हैं। आरक्षण कोटा लागू होने के बाद स्थानीय महिलाएं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा निरक्षर और गरीब हैं, 43 प्रतिशत सीटों पर कब्जा करने लगी हैं, जो जिला, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए एक उत्साहजनक कारक है। अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के बाद से, विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है।

इस आशंका के विपरीत कि निर्वाचित महिलाएं रबर स्टांप लीडर होंगी, पीआरआई से रिपोर्ट की गई सफलता की कहानियां प्रभावशाली हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के 180 गांवों का एक अध्ययन, सरकार द्वारा वित्त पोषित और महिला विकास अध्ययन केंद्र, नई दिल्ली द्वारा समन्वित दिल्ली ने पाया कि निर्वाचित महिला नेताओं में से एक पूर्ण दो तिहाई सक्रिय रूप से नियमों को सीखने और शक्ति का प्रयोग करने में लगी हुई हैं। यूनिफेम के कार्यकारी निदेशक नोएलीन हेजर टिप्पणी करते हैं, ''यह दुनिया में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र में सबसे अच्छे नवाचारों में से एक है''।

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेता गरीबी, असमानता और लैंगिक अन्याय के मुद्दों के प्रति राज्य को संवेदनशील बनाकर स्थानीय शासन को बदल रही हैं। वहां वे उन मुद्दों से निपट रहे हैं,जो पहले लगभग अनजान हो गए थे, पानी, शराब के दुरुपयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू हिंसा के रूप में। आंध्र प्रदेश में यूनिसेफ की संचार अधिकारी सुधा मुराली का कहना है कि महिलाएं इस शक्ति को अपने और अपने बच्चों के लिए वास्तविक बदलाव के अवसर के रूप में देख रही हैं और वे इसका उपयोग प्राथमिक विद्यालयों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्र। जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग करने के लिए कर रही हैं

पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है जिसमें महिलाएं सशक्त हुई हंप और आत्मविश्वास, राजनीतिक जागरूकता और अपनी पहचान की पुष्टि प्राप्त की है। ग्राम पंचायतें महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण का मैदान बन गई हैं जैसे कि उनमें से कई अनपढ़ हैं, फिर भी अब पंचायतों में नेता हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुधा पिल्लई कहती हैं, ''इसने उन लोगों को कुछ दिया है जो पूर्ण रूप से कुछ नहीं (नोबॉडी) थे और उनके पास इसे अपने दम पर बनाने का कोई तरीका नहीं था। शक्ति उनके विकास का स्रोत बन गई है।

संसाधनों और अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए जोर देकर और पुरुषों से चुनौती लेकर, महिलाओं ने एक व्यक्तिगत और सामूहिक शक्ति की खोज की है जो पहले अकल्पनीय थी। इसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं जो खुद पंचायत नेता नहीं हैं, लेकिन अपनी बहनों के काम से प्रेरित हैं। एक बार जब वे कुछ पद और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो वे लैंगिक असमानता से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। पंचायतों में महिलाओं की एक छोटी संख्या भी बड़े पैमाने पर महिलाओं को जुटाने में उपयोगी हैये एकीकृत और सशक्त महिलाएं समाज में लैंगिक समानता को लागू करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाएंगी। 2020 में पीआरआई में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या उत्साहजनक है। आइए हम निम्न तालिका देखें:

तालिका 1.1: भारत में पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश–वार संख्या, 2020

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीआरआई प्रतिनिधियों	कुल ईडब्ल्यूआर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	858	306
आंध प्रदेश	156050	78,025
अरूणाचल प्रदेश	9383	3,658
असम	26754	14,609
बिहार	136573	71,046
छत्तीसगढ़	170465	93,392
दादरा और नगर हवेली	147	47
दमन और दीव	192	92
गोवा	1555	571
गुजरात	144080	71,988
हरियाणा	70035	29,499
हिमाचल प्रदेश	28723	14,398
जम्मू–कश्मीर	39850	13,224
झारखंड	59638	30,757
कनोटक	101954	51,030
केरल	18372	9,630
लद्दाख	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
लक्षद्वीप	110	41
मध्य प्रदेश	392981	196490
महाराष्ट्र	240635	128677
मणिपुर	1736	880
ओडिशा	107487	56,627
पुडुचेरी	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
पंजाब	100312	41,922
राजस्थान	126271	64,802
सिक्किम	1153	580
तमिलनाडु	106450	56,407

तेलंगाना	103468	52,096
त्रिपुरा	6646	3,006
उत्तर प्रदेश	913417	304538
उत्तराखंड	62796	35,177
पश्चिम बंगाल	59229	30,458
कुल	3187320	1453973

5.5 चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्र

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति की समीक्षा ने उनके लाभों पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा, इसने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं से संबंधित चिंता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी उजागर किया और जहाँ सरकार के ध्यान की आवश्यकता थी। इनमें गरीबी का बढ़ता बोझ, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक असमान पहुंच, कुपोषण, निरक्षरता की उच्च दर और प्रशिक्षण की कमी, परिसंपत्तियों और संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण की कमी, सत्ता साझा करने और निर्णय लेने में असमानता, सूचना और मीडिया तक पहुंच की कमी, महिलाओं, किशोरों और लड़कियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा शामिल है, बालिकाओं के साथ निरंतर भेदभाव, आदि।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, दसवीं योजना ने महिला सशक्तिकरण के लिए चल रहे प्रयासों को सुदृढ़ करने और तेज करने के लिए एक दृष्टिकोण का सुझाव दिया। दृष्टिकोण यह है कि महिलाओं के खिलाफ प्रचलित सामाजिक भेदभाव का परिवर्तन सर्वोच्च प्राथमिकता बनना चाहिए और यह महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार करने के लिए बढ़ी हुई प्रत्यक्ष कार्रवाई के साथ समवर्ती रूप से होना चाहिए। जैसे–जैसे महिलाएं अधिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, वे अधिक पैसा कमाएंगे।

एनएफएचएस –5 (2019–2020) सहित कई शोध अध्ययनों ने कई महिलाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान की, मुख्य रूप से निम्नलिखित जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता थी:

- महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी तक पहुंच नहीं है।
- उनके पास समूहों में संगठित होने की कमी है और परिणामस्वरूप अलग–थलग हैं।
- उनके पास ऋण/संसाधनों तक पहुंच नहीं है।
- उनके पास आजीविका कमाने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल की कमी है।
- महिलाओं का स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति खराब है– 15–49 वर्ष की आयु की लगभग 50% महिलाएं एनीमिक हैं।
- घरों के भीतर पानी और ईंधन आसानी से उपलब्ध नहीं है और सुविधाजनक दूरी के भीतर चारा आसानी से उपलब्ध नहीं है।
- चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान, तीव्र परिवहन के लिए अच्छी सड़कों की

कमी, पर्याप्त चिकित्सा ध्यान उपलब्ध नहीं होना।

- प्रतिकूल जीवन स्थितियों में; जैसे, विधवापन या विकलांगता, सामाजिक सहायता उपाय ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त हैं।

संक्षेप में, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की दिशा को इंगित करता है। यदि यह पुरुषों और महिलाओं के बीच भूमिकाओं के अधिक समतावादी वितरण की दिशा में है, तो यह संविधान की भावना के अनुरूप है। मुझे आपकी प्रगति की जाँच करने दीजिए।

5.6 आइए संक्षेप में बताते हैं

दर्जा समाज में एक स्थिति है, जिसमें सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में अधिकार और दायित्व शामिल हैं। ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति में स्वास्थ्य, शिक्षा, विभेदक उपचार और उनकी भागीदारी के प्रति समाज का दृष्टिकोण शामिल है। उनकी आर्थिक स्थिति में कार्य भागीदारी, लैंडहोल्डिंग और अन्य आर्थिक परिसंपत्तियों का स्वामित्व और आजीविका स्रोतों और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच शामिल है। राजनीतिक गतिविधियों और निर्णय लेने में उनकी जागरूकता और भागीदारी राजनीतिक को इंगित करती है जबकि संविधान के तहत महिलाओं को समानता की गारंटी दी गई है, प्रचलित पितृसत्तात्मक परंपराओं में कानूनी संरक्षण का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। फिर भी, पुरुष और महिला साक्षरता के स्तर में एक बड़ा अंतर है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम स्वास्थ्य देखभाल मिलती है। दशकों से लागू विभिन्न विकासात्मक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों ने उनकी स्थिति में सुधार किया है, अस्वस्थता, अशिक्षा, अज्ञानता, भेदभाव और हिंसा जैसी समस्याएं उन्हें परेशान करती रहती हैं। पीआरआई में अपनी उपस्थिति के साथ ये संस्थान महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रशिक्षण के मैदान मंर बदल गए हैं।

5.7 मुख्य शब्द

महिलाओं की स्थिति : अनुष्ठान पदानुक्रम में महिलाओं का स्थान, आजीविका और वित्तीय स्थिति का स्रोत, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य देखभाल और राजनीतिक भागीदारी।

सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति : स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थितियों, महिलाओं को दिए गए विभेदक उपचार और महिलाओं की भूमिका और स्थिति को परिभाषित करने के प्रति समाज के दृष्टिकोण को संदर्भित करता है।

आर्थिक स्थिति : कार्य भागीदारी की शर्तें, लैंडहोल्डिंग और अन्य आर्थिक परिसंपत्तियों का स्वामित्व, आजीविका स्रोतों और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच आदि।

राजनीतिक स्थिति : राजनीतिक गतिविधियों–चुनाव, मतदान और निर्णय लेने के बारे में जागरूकता और भागीदारी का स्तर।

5.8 सुझाए गए अध्ययन

भौमिक, मंजरी। भारत में महिलाओं की स्थितिः पुरातनता से आधुनिकता तक। नई दिल्लीः अभिजीत पब्लिकेशंस।

भारत सरकार। (2020). भारत में महिलाएं और पुरुष (भारत में लिंग से संबंधित

संकेतकों का संकलन)। नई दिल्लीः सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , भारत सरकार। लिंटन, राल्फ। (1964)। मनुष्य का अध्ययन । थ्रिफ्ट बुक्स।

राज, विजया। पुडुचेरी क्षेत्र में ग्रामीण महिला कृषि श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज रिसर्च, 4: 1–6।

महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति (2015) पर रिपोर्ट, 2015।

शर्मा, एससी (2009)। भारत में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति। नई दिल्लीः एके प्रकाशन।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY